



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/488

दिनांक: -03/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (11) कम्पनियों का नाम **पश्चिम बंगाल** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hidni Name
1	AA8388367	U70200WB2023PTC262788	वर्चुअलएमक्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8534726	U72900WB2022OPC259297	आर्यवेक टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8512787	U72500WB2022PTC254179	मॉर्फिसडोम प्राइवेट लिमिटेड
4	AA8447293	U74120WB2021OPC249697	सोलन बडी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8402422	U80903WB2021PTC245873	फ्यूचरहैट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8417878	U52599WB2018PTC228412	ड्राफ्टर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8834338	U70109WB2018PTC227686	आर.एस.एन.एस. डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8520784	U70200WB2012PTC178460	स्नोब्लू कॉन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8334286	U74140WB2012PTC183760	कुलमिण्टिंग फाइनेंसियल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8547762	U51909WB2011PTC163366	मंगलधन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
11	AA8455524	U25209WB2001PTC093523	स्नो व्हाइट पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र